कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला अलीराजपुर म0प्र0

क्रमांक / मूल्याकन 5–8वीं / 2015–16 / अलीराजपुर दिनांक 27.02.2016

निविदा की शर्ते:–

अलीराजपुर जिले की कक्षा 5 वीं एवं 8 वीं की वार्षिक परीक्षा सत्र 2015–16 हेतु प्रश्न–पत्र मुद्रण हेतु वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत मुद्रकों से दिनांक 02.03.2016 सांय 05:00 बजे तक निविदा प्राप्त करने एवं निविदा प्रपत्र जमा करने का अंतिम दिनांक 03.03.2016 समय दोपहर 01:30 बजे तक रहेगी। निविदा खोलने का दिनांक 03.03.2016 समय दोपहर पश्चात 04:00 बजे स्थान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अलीराजपुर नियत रहेगा। निविदा की शर्ते निम्नानुसार है–

शर्ते:–

01. निविदा फर्म विक्रय हेतु राशि रूपये 500 / –प्रति निविदा प्रपत्र जमा करना होगा। निविदा व्यक्ति के नाम से विक्रय नहीं होगी। निविदा फर्म के नाम से विक्रय की जावेगी।
02. निविदादाता फर्म को अमानत राशि के रूप में राशि 10000 / – का डिमाण्ड ड्राफट / बैकर्स चैक जिला शिक्षा अधिकारी जिला अलीराजपुर के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा। नगद राशि स्वीकार नही होगी।
03. किसी भी तरह का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
04. भुगतान पर नियमानुसार करो(टेक्स) का कटोत्रा किया जावेगा।
05. निविदा में दरें भारतीय मुद्रा में समस्त करों सहित भरी जावेगी।
06. कार्य की सीमा 15 दिवस में निर्धारित की गई है। 15 दिवस से अधिक विलम्ब होने पर 5000 / –रूपये प्रतिदिवस के मानसे अर्थदण्ड देय होगा। यदि विलम्ब 03 दिवस से अधिक होता है तो आपकी अमानत राशि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा राजसात कर ली जावेगी।
07. प्रिटिंग कार्य हेतु प्रश्न पत्रों की सी0डी0एवं संस्थावार दर्ज बच्चों की संख्या की हार्डकापी का एक सेट आपको प्रदाय किया जाएगा।
08. समस्त प्रिन्टिग दर पत्रक में दी गई स्पेशिफिकेशन के मान से ही होना अनिवार्य है। यदि पेपर साईज एवं क्वालिटि इससे खराब पाई जाती है तो जिला मुल्यांकन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। समस्त प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार जिला मुल्यांकन समिति जिला अलीराजपुर को होगा। जिला मुल्यांकन समिति जिला अलीराजपुर के खिलाफ कही पर भी अपील करने का अधिकार किसी भी फर्म / अन्य को नहीं होगा।
09. संबंधित फर्म को निम्नानुसार प्रश्न पत्र के लिफाफे सीलबंद कर प्रदान करना होगें–

    विकास खण्ड वार पैकेट जिसमें संकुलवार पैकेट जिसमें संस्था वार पैकेट जिसमें विषयवार सीलबंद लिफाफे हो। जिसके पैकेट बनाकर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। समस्त पैकेट मुद्रित होना अनिवार्य है।
10. निविदाकर्ता द्वारा निविदा 03 लिफाफो में प्रस्तुत की जावेगी। एक लिफाफे में धरोहर अमानत राशि दूसरे लिफाफे में पेनकार्ड,टीन पंजीयन की छायाप्रति एवं तिसरे लिफाफे में दर। लिफाफे के उपर स्पष्ट फर्म का नाम व लिफाफे का विवरण लिखना अनिवार्य होगा।
11. जिला शिक्षा अधिकार जिला अलीराजपुर को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।
12. निर्धारित दिनांक एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। टेलीग्राम / टेलिफोन / ई–मेल से प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। कार्यालय में आकर ही निविदा जमा करना अनिवार्य होगा।
13. निविदा जिला मूल्यांकन समिति द्वारा खोली जाकर फर्म को आदेशित किया जावेगा।

    उपरोक्त समस्त प्रकार की शर्ते मुझे / मेरी फर्म को मान्य है।

29/02/16

जिला शिक्षा अधिकारी,

जिला अलीराजपुर (म.प.)

फर्म के हस्ताक्षर————————

फर्म का नाम ————————

फर्म की सील ————————

मो0न0 ....